

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 584 / 2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. तुलछाराम पुत्र मोडाराम 2. खेताराम पुत्र मोडाराम 3. मेहराराम पुत्र मोडाराम जाति जाट, निवासी रावतसर, बाडमेर हाल निवासी गंगासिंह नगर तहसील शिव, जिला बाडमेर		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थीगण :- श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।



—:: आदेश ::—

दिनांक : 21.01.2026

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत मौजा गंगासिंह नगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 554/87, 87, 555/87 रकबा क्रमशः 3.2132, 3.2213, 3.2213 हैक्टेयर के आये हुए हैं। उक्त विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 87 के विभक्त खसरा नम्बर हैं। पूर्व में आपसी सहमति से उक्त मूल खसरा नम्बर का सहमति विभाजन करवाया गया। उक्त सहमति विभाजन के दौरान खातेदारान् ग्रामीण परिवेश के अनपढ होने तथा दिशाओं की सही जानकारी नहीं होने से उक्त विवादित आराजी की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हो गई है। वर्तमान तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में किसी प्रकार की एकरूपता नहीं है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे हैं। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर सभी खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को सिद्ध करते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाडमेर)
उपखण्ड अधिकारी

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर समस्त खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। साथ ही प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गंगासिंह नगर, तहसील शिव में प्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 554/87 रकबा 3.2132 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 3.2213 एवं प्रार्थी संख्या 3 के खेत खसरा नम्बर 555/87 रकबा 3.2213 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।



आदेश आज दिनांक 21.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव (शिबमेर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव (शिबमेर)